This is a very, very sad situation. In all federal democracies, there is one Pay Commission for the civil service, and another for the defence personnel. Why should we also not have a separate Pay Commission for the Army, for the defence forces? I would urge the Government to have a separate Pay Commission each, for the civil services and the defence services. Till such time that is done, the review committee which the Government has appointed, must include, at least one person from the defence forces. We must not only be fair, we must also appear to be fair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay.

SHRI K.R. MALKANI: In the case of the Army, not only we do not appear to be fair, but it seems to me—I am sorry to say this—we are also not fair. The consequences of all this may be less than pleasant. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I hope the Government would respond on this particular issue relating to the Army, where the jawans are not paid proper salary. The hon. Member has also pointed out about the effect of the Fifth Pay Commission's report on the defence forces.

Now, we take up Special Mentions. Shri Suresh Pachouri, please.

SPECIAL MENTIONS

Slow Progress in Rajiv Gandhi Assassination Case

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Parliamentary Affairs Minister, kindly hear what the hon. Member is saying.

श्री सुरेश पचौरी: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्पैशल मैंशन के माध्यम से सरकार का ध्यान राजीव गांधी सेसिसेशन केस की ओर दिलाना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में 3 दृष्टिकोणों से जांच हो रही है। पहला जैन कमीशन आफ इंक्वायरी है। उनकी हत्या में जिन लोगों की साजिश रही, उससे संबंधित इंक्वायरी जैन कमीशन कर रहा है। दूसरा जो डैजिनेटेड कोर्ट है पुन्नमली, मद्रास में, उसका एस॰ आई॰ टी॰ इन्वैस्टिगेशन हो रहा है, उससे संबंधित है और तीसरा जो वर्मा कमीशन आफ इंक्वायरी की फाईंडिंग्ज़ है, उसके आधार पर जो ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसके नतीजे पर कार्यवाही करने की बात है।

मान्यवर, जैन कमीशन आफ इंक्वायरी 23 अगस्त, 1999 को बना और अभी 31 अगस्त, 1997 तक इसका एक्सटेंशन 12 बार हो चुका है। अभी जो हालात चल रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि इस अवधि में भी यह जैन कमीशन किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। उसकी वजह यह है कि जैन कमीशन को समय-समय पर जो वांछित सहयोग मिलना चाहिए, वह न तो उसे पूर्व में मिला है और न अभी वर्तमान में मिल रहा है। पूर्व में ए॰ आई॰ सी॰ सी॰ के जनरल सेक्रेटरी श्री अहमद पटेल ने 28.1.93 को जो पत्र जैन कमीशन को लिखा था, जो डाक्युमेंट्स उन्होंने चाहे थे, वे उनको नहीं दिए गए और अभी जो ए॰ आई॰ सी॰ सी॰ के प्रेजीडेंट हैं श्री सीताराम केसरी, उन्होंने 10 जनवरी, 1997 को एक पत्र युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को लिखा है और उन्होंने जो डाक्यूमेंट्स, जो इन्फारमेशन जैन कमीशन को देने की बात कही है, वह उसे अभी तक नहीं दिए गए है। आज की तारीख तक नहीं दिए गए हैं। मेरे पास सीताराम केसरी जी के उस पत्र की कापी उपलब्ध है।

मान्यवर, जो कमेटी आफ सेक्रेटरीज़ की मीटिंग हुई थी, उसमें यहां तक तय हुआ था कि कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स प्रिविलेज्ड डाक्यूमेंट्स होने चाहिए और उन्हें कमीशन के चेयरमैन को कान्फिडेंस में लेकर दिखा देना चाहिए लेकिन अभी तक न तो वॉयरलैस के इंटरसेप्टेड मैसेजेज दिए गए है, और जो कोडेड मैसेजेज थे, न उनको डि-कोड करके दिया गया है। इसी तरह जो सिग्नीफिकेंट, रेलेवेंट और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, वे अभी तक जैन कमीशन को प्रदान नहीं किए गए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैन कमीशन को वांछित सहयोग प्रदान किया जाए। जैन कमीशन ने जो डाक्यूमेंट्स मांगे हैं, वे उनको प्रदान किए जाएं।

अब इसका जो तीसरा पहलू है वह है एस॰ आई॰ टी॰ इन्वैस्टिगेशन का। मान्यवर, इसी हाऊस में हमारे वर्तमान वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने यह कहा था कि दिसंबर, 1995 तक एस॰ आई॰ टी॰ इन्वैस्टिगेशन पूरी हो

जाएगी लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पाई है। जैन कमीशन को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमेशा उनके बारे में यह कहा गया कि यह एस॰ आई॰ टी॰ से संबंधित है, जो ट्रायल है वह प्रिज्यूडिस हो जाएगी। इसलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी जैन कमीशन को मिलनी चाहिए, वह उन्हें नहीं दी जा रही है। उधर पुत्रमली में जो प्रोसीक्यूशन विटनैस है, उनका ऐविडेंस अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यद्यपि 20.5.92 को चार्जशीट हो चुकी थी लेकिन अभी तक ऐविडेंस पूरा न हो जाने के कारण ये सारी बाते पूरी नहीं हो सकी हैं। इसी के साथ जो तीसरी बात है वह यह है कि समय-समय पर डैजिनेटेड कोर्ट कंटीन्युअसली नहीं बैठ पाता है। कभी तीन-साढ़े तीन माह की छुट्टी होती है। कभी लड़के की शादी होती है। कभी कोर्ट छुट्टी पर चला जाता है। कभी जज बदल दिया जाता है। यह सारी स्थिति चल रही है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ सुनिश्चित किया जाए कि एस॰आई॰टी॰ की इन्वैस्टिगेशन निश्चित समयावधि में पूरा हो जाए। इस जांच का जो तीसरा पार्ट है वह है ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की फाईंडिंग्ज़ का। वर्मा कमीशन आफ इंक्वायरी का गठन हुआ सुरक्षा की कमी देखने हेतु 27 मई, 1991 को और वर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 15 जून, 1992 को दी थी।

उस आधार पर अप्रैल, 1994 में ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी और दोषी व्यक्तियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन-कौन से आफिसर्स है, कौन-कौन से व्यक्ति हैं। शोर्ट डूरेशन डिस्कशन के माध्यम से 13-12-94 को यह सदन में चर्चा हुई कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की फाइंडिंग्स के आधार पर जिन लोगों को दोषी करार किया गया है जिसमें मान्यवर, आपने भी पार्टिसिपेट किया था, उन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर उठकर जिन लोगों को भी इसमें दोषी पाया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आज की तारीख तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि सरकार एक निश्चित समयावधि के अंदर जल्दी से जल्दी एस॰ आई॰ टी॰ का इंवेस्टीगेशन पूरा करे, सरकार ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की जो फाइंडिंग्स है, जो वर्मा कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर है उन अधिकारियों और उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो तीसरी बात है, जो जैन कमीशन की इंक्वायरी से संबंधित है, जैन कमीशन ने जो भी डोक्यूमेंट चाहे हैं, जो-जो जानकारी चाही है वह सारी की सारी जानकारी जैन कमीशन को निश्चित समय पर उपलब्ध कराई जाए और समय रहते जैन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे। यदि दो पार्ट में भी रिपोर्ट देने की बात है, पहले पार्ट में जैन कमीशन अपनी प्रिलिमनरी रिपोर्ट दे सकता है और दूसरे पार्ट में एस॰ आई॰ टी॰ इंवेस्टीगेशन पूरा होने के बाद जो सेगरिगेटेड डोक्यूमेंट की उनको जरूरत है वह मिलने के बाद दूसरे पार्ट में दे सकता है, ऐसी व्यवस्था की जाए। क्योंकि यह मुद्दा एक ऐसे नेता से संबंधित है जिसने न केवल हमारे देश का नेतृत्व किया बल्कि देश का नाम ऊंचा किया। इसलिए इस मसले में राजनीति से ऊपर उठकर सदन में सारे सदस्यों ने दिलचस्पी दिखाई थी और यह मांग की थी कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जैन कमीशन को वांछित सहयोग प्रदान किया जाए। आज की तारीख तक केसरी जी ने जो पत्र लिखा था, मेरी जानकारी के हिसाब से जो डोक्यूमेंट चाहे थे, उन्होंने 10 जनवरी, 97 को पत्र लिखा कि डोक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसलिए वह उपलब्ध कराए जाएं।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, while associating myself with the sentiments expressed by Pachouri Ji, I would say that everyday we are witnessing killings everywhere, be it Bihar, U.P. or any other part of the country. Nobody is apprehended or arrested. No culprit is booked and no action is taken. This does not speak good about the situation that is prevailing in the country. Investigations are ordered and they do not take place properly. If nobody takes note of the incidents, particularly of the criminal activities that are going on in the country, it becomes a serious matter. Parliament has to take note of it. The confidence on the investigating authorities and the judicial authorities has to be established. If the people lose confidence in the system, what will be the alternative? So, it is high time that the Government of India and the Parliament take note of this with all the seriousness. Matters where security of the country, health and security of the people of the society are involved, they are being treated in a callous manner. It happened to Rajiv Gandhi. It might happen to anybody. I think this callousness is undesirable and the Government should rise to the occasion and take serious steps to ensure that the investigations are com-

pleted properly and culprits are brought to book.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री सुरेश पचौरी जी और श्री हनुमनतप्पा जी ने जिस समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है मैं इसका समर्थन करता हूं और इससे सहमत हूं। मान्यवर, राजीव गांधी जी इस देश के बड़े नेता थे और प्रधान मंत्री थे। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और दुनियां में भी उनका नाम रहा। उनकी हत्या हुए पांच साल से अधिक हो रहा है लेकिन आज तक सरकार जांच पूरी नहीं कर सकी है। जैन आयोग के समक्ष जो जांच चल रही है, वह तो सचमुच बहुत हास्यास्पद लगती है और इस सदन में बार-बार यह समस्या उठाई गई है। कभी जैन आयोग को कमरा नहीं मिला, कभी स्टाफ नहीं मिला। जब पिछली सरकार थी तो इस सदन में यह मामला आया था कि उनको सारे रिकार्ड्स उपलब्ध करा दिए जाएं, ऐविडेंस उपलब्ध करा दिए जाएं इसमें लगता है कि सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा।

मान्यवर, जब इस देश के प्रधान मंत्री की हत्या के बारे में सरकार पता नहीं लगा सकती है और आयोग असमर्थ हो रहा है तो इस देश में जो साधारण आदमी की हत्या होती है, उसका क्या होगा? आज अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन अपराधों का क्या धुरसाहाल होगा? इसीलिए इस देश के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है और अपराध बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं इन दोनों माननीय सदस्यों की बातों का ज़ोरदार समर्थन करते हुए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से ले, जैन आयोग की रिपोर्ट भी पूरी हो जाए और जो दो अन्य जांचें चल रही हैं, उन दोनों के निष्कर्ष देश के समक्ष जल्दी से आ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका पूरा समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Dr. Venkateswarlu Shri Suresh Pachouriji has raised two vital points. One is important documents, sensitive documents have not been produced before the Jain Commission. Number two, a group of Ministers have decided about fixation of accountability against the officers. These two vital points relate to the assassination of Rajivji. I think the Parliamentary Affairs Minister should convey to the Home Minister that when the Parliament meets after recess, the Government should come out with a statement on this.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Okay, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Dr. Alladi P. Rajkumar. Not here. Dr. Karan Singh.

Celebration of 125th Anniversary of Shri Aurobindo

DR. KARAN SINGH (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, our freedom movement produced a galaxy of very great and extraordinary people, not only political leaders but philosophers and thinkers who looked far beyond into the future. In this galaxy, one of the most brilliant stars was Sri Aurobindo. Sri Aurobindo emerged as the prophet of Indian nationalism in the first part of his career. After studying for 15 years in England, he came back to India in 1893 and plunged himself into the freedom movement. In 1905 in the Banga-Bhanga (partition of Bengal) he moved to Calcutta. He played a very important role in the freedom movement at that time. He was known as the prophet of Indian nationalism. In 1910, he left for Pondicherry. For 40 years, he had developed, perhaps, one of the most powerful and one of the most original systems of philosophy that the world has ever known.

Now, the 125th birth anniversary of Sri Aurobindo is coinciding with the 50th freedom anniversary of India. In 1972, when the centenary celebrations of Sri Aurobindo took place, there was a National Committee headed by the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi of which I was the Convener. We did a lot of important work. We took over the Sri Aurobindo Bhavan in Shakespeare Sarani in Calcutta, it has become a national heritage. In Baroda, the house